न्यायालय तालुका विधिक सेवा(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या-02)केकड़ी
राष्ट्रीय लोक अदालत-2022 मुकाम भिनाय
प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./08/2020

1. सीयाराम पुत्र श्री बरदा जाति जांगिड़ निवासी बुबकिया हाल बान्दनवाड़ा तहसील भिनाय अजमेर
2. राधेश्याम पुत्र श्री बरदा जाति जांगिड़ निवासी बुबकिया हाल निवास बान्दनवाड़ा तहसील भिनाय अजमेर

प्रार्थीगण

बनाम

1. तेजू पुत्र रामकिशन जाति जाट निवासी रेण का झोपड़ा तहसील भिनाय अजमेर
2. देवीलाल पुत्र गोकल जाति खाती निवासी बुबकियां तहसील भिनाय अजमेर
3. गोपाल पुत्र गोकल जाति खाती निवासी बुबकियां तहसील भिनाय अजमेर
4. रतनलाल पुत्र गोकल जाति खाती निवासी बुबकियां तहसील भिनाय अजमेर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय अजमेर

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम

उपस्थित :- 1. वकील अप्रार्थी- धर्मवीर बामणिया
2. पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक- 13.08.2022

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि **मौजा बुबकिया पटवार क्षेत्र बुबकियां भू0अ0नि0 क्षेत्र भिनाय के खाता सं0 417 में दर्ज ख0न. 2338 रकबा 0.84, ख.न. 2414 रकबा 1.59, ख0न. 2689/2415 रकबा 0.33, ख.न. 2690/2413 रकबा 0.51 और ख.न. 2692/2339 रकबा 0.48 कुल किता 05 कुल रकबा 3.75 है0** जो कि प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थी सं0 1 लगा0 4 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 05 जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं0 1 लगा0 04 को नियमानुसार नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में अपनी उपस्थिति नहीं देने पर अप्रार्थीगण सं0 1 लगा0 04 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र में जवाब प्रस्तुत कर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की खातेदारी आराजी होना स्वीकार करते हुए पत्थरगढी के आदेश जारी किया जाना उचित होना बताया। वकील प्रार्थी और पैरोकार सरकार को सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा पैरा सं. 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार किया है।

प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत-2022 के तहत पेश हुआ। वकील प्रार्थी और पैरोकार सरकार को सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा पैरा सं. 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की खातेदारी भूमि होना स्वीकार किया है। ... बैंच द्वारा ... एवं राजस्व जमाबन्दी ग्राम बुबकिया का अवलोकन किया ... आराजी प्रार्थी की स्व... खातेदारी भूमि होना पाया गया। ऐसी स्थिति में बैंच ... स्यों द्वारा प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhat Tripathi
Date: 2022.10.05 15:51:26 IST
Reason: Self Attested

अध्यक्ष
लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी, जिला-अजमेर

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhat Tripathi
Date: 2022.10.05 15:51:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner